

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

नरेन्द्र पिता चम्पालाल शर्मा निवासी बरसिंग का गुद्दा तह. चित्तौड़गढ़
बनाम

मिठुलाल पिता भैरूलाल ब्राह्मण निवासी बरसिंग का गुद्दा हाल पसुन्द तह. राजसमन्द
कार्यवाही : निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम
प्र.सं. 26 / 2016 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.18	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 उपस्थित। अतः प्रकरण गुणावगुण के आधार पर देखा गया।</p> <p>अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत उदपुरा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 03.05.1985 पंचायतीराज नियमों के विपरीत, न्याय, नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत होना बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया तथा पुनः दिनांक 14.02.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निगरानी में टंकण त्रुटि से निगरानी के कॉलम संख्या 6 में आरनी अंकित हो जाने तथा ग्राम पंचायत उदपुरा के स्थान पर ग्राम पंचायत गिलुण्ड किये जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वो पूर्णतया विधि अनुसार किया गया है। दिनांक 09.09.1981 को निलामी में भूमि की बोली उच्चतम रहने पर पूर्ण राशि जमा की जाकर पट्टा जारी किया गया है। पंचायत ने आज्ञा संख्या 5 दिनांक 11.09.1981 को प्रस्ताव लिया जाकर पट्टा जारी किया गया है जिसका पंचायत समिति से भी अनुमोदन जारी हुआ है तथा पट्टा ग्राम पंचायत आरनी या उदपुरा के द्वारा जारी नहीं किया जाकर ग्राम पंचायत गिलुण्ड द्वारा जारी किया गया है जो पूर्णतया विधि अनुसार पंचायतीराज नियमों के तहत जारी किया गया है अतः निगरानी खारीज फरमाई जावे।</p> <p>हमने अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। पट्टा संख्या 32 की प्रति को देखने से स्पष्ट है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत उदपुरा अथवा आरणी द्वारा जारी नहीं किया जाकर ग्राम पंचायत गिलुण्ड द्वारा जारी किया गया है जो कि पंचायत के संकल्प संख्या 5 दिनांक 11.09.81 के अनुसरण में निलामी में विपक्षी संख्या 1 की 80/-रूपये अक्षरे अरसी रूपये की बोली उच्चतम रहने से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी</p>	

किया गया है। निगराकार द्वारा केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं है। निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारीज की जाती है।